निगरानी प्रकरण क्र. : ..../2012

प्रस्तुति दिनांक : ..../06/2012

श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, मध्यंप्रदेश ग्वालियर मध्यप्रदेश के समक्ष (30)

R-1787-PBR/12

नानीबाई पति बापु मृतक तर्फे वारिस
1. जब्बार पिता बापु आयु-55 वर्ष,
2. जाफर पिता बापु आयु-50 वर्ष,
3. सोहराब पटेल पिता बापु आयु-47 वर्ष
सभी निवासी-ग्राम चांदनखेडी तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.) ....प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. तेजकरण पिता रामचन्द्र जाति-आंजना
2. शांताबाई पति रामचन्द्र जाति-आंजना
दोनो निवासी-ग्राम कनवासा तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

3. मेहराजबाई पति वली मोहम्मद पटेल
निवासी-ग्राम जाखुखेडी तहसील महू
जिला इन्दौर (म.प्र.)

4. शेहराजबाई पति गफुर पटेल
निवासी-ग्राम नौगांवा तहसील बदनावर
जिला धार (म.प्र.)

5. मुमताजबाई पति तेज मोहम्मद
निवासी-ग्राम चेनपुरा तहसील महू
जिला इन्दौर (म.प्र.)

6. मैमुना बी पति छोटू पटेल
निवासी-ग्राम सोनवाय तहसील व
जिला इन्दौर (म.प्र.)

7. पटवारी हल्का नम्बर 22 (पुराना-15)
ग्राम कनवासा तहसील देपालपुर
जिला इन्दौर (म.प्र.) ....प्रतिप्रार्थीगण

श्री .... द्वारा आज दि. 20.6.12 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

।। निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भु-राजस्व संहिता 1959।।

यह कि, प्रतिप्रार्थी कमांक 7 के द्वारा तहसील आदेश दिनांक 01/10/1999 के आधार पर अवैध रुप से प्रार्थीगण के पूर्व हितधारी माता नानीबाई पति बापू का नाम बिना किसी आदेश के कम कर विलोपित करते रामचन्द्र पिता नागुजी का नाम लागू किये जाने बाबद् जो अवैध कार्यवाही की है, उससे असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :-

अविरत...........2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1787-पीबीआर/12 जिला इंदौर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-11-18	आवेदकपक्ष की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक क्रमांक 1 व 2 की ओर से श्री टी0टी0गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित । आवेदक पक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 07-01-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	